

मांग संख्या 79
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1-4

डा. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर के लिये बिजली एवं जल प्रभार, वर्दियां, पेट्रोल तेल एवं राशन व्यय मद में रूपये 49.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 49,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

डा. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर के लिये दवाई मद में रूपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6-9, 12-17

यात्रा भत्ता दौरे आदि के लिये विस्तृत शीर्ष खोलते हुये 10 योजनाओं के लिये रूपये 1000 का व्यय संभावित है ।

अतः इस हेतु रूपये 100 के मान से कुल रूपये 1000 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10

भारत सरकार द्वारा 8 एलोपैथिक जिला चिकित्सालयों में आयुष विंग, 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्पेशलिटी आयुर्वेद क्लीनिक एवं 19 एलोपैथिक चिकित्सालयों के स्पेशलाइज्ड थैरेपी सेन्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 8,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11

भारत शासन के केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र हेतु रूपये 5.00 लाख उपलब्ध कराया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 18

भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के दो आयुर्वेद महाविद्यालयों श्री लब्धि विक्रमराज आरोग्य धाम संस्थान दुर्ग को एवं छदामीलाल चौकसे स्मृति होम्योपैथी कॉलेज, बिलासपुर को रूपये 3.55 लाख का अनुदान रिओरिएन्टेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,55,040 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 19

भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों के विकास हेतु रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेज अस्पताल को रूपये 12.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 20-23

चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर हेतु वेतन भत्तों एवं फर्नीचर/उपकरण मद में रूपये 15.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 24

अशासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय के फीस निर्धारण हेतु गठित समिति के खर्चों के भुगतान हेतु रूपये 3.30 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 25

दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु रूपये 750.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 7,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।